रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 1992/माघ 10, 1913
No. 44] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 1992/MAGHA 10, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1992

सा.का.नि. 67(अ).—केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चलचित्र (प्रमाणन) (संशोधन) नियम, 1992 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6. अध्यक्ष की अस्थायी अनुपस्थिति : इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, जब अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब केन्द्रीय सरकार बोर्ड के किसी सदस्य को नाम निर्देशित कर सकेगी जो अध्यक्ष के कृत्यों का तब तक निर्वहन करेगा जब तक कि अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनः नहीं संभाल लेता है ।

3. मूल नियमों के नियम 13 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) उपनियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि सलाहकार पैनल का कोई सदस्य संसद का सदस्य है तो वह संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 3 के खंड (क) में परिभाषित भत्तों से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार होगा ।"

4. मूल नियमों के नियम 31 में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु अध्यक्ष, आवेदक या किसी अन्य संबंधित व्यक्ति के लिखित अनुरोध पर उक्त अवधि को बढ़ा सकेगा और इस प्रकार बढ़ाई गई कुल अवधि छह मास से अधिक नहीं होगी ।"

[फा. सं. 810/3/91-एफ(सी)]

एस. लक्ष्मीनारायण, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य नियम भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-2 खंड 3, उपखंड (1) दिनांक 9-5-83 में जी.एस. आर. 381-ई. के रूप में प्रकाशित ।

द्वारा संशोधित (1) भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) दिनांक 28-2-84 में जी.एस.आर. 83-ई द्वारा संशोधित

(2) भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 1, खंड 3 उपखंड (1) दिनांक 29-5-84 में जी. एस. आर. 413 (ई.) द्वारा संशोधित ।

(3) भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2, खंड 3 उपखंड (1) दिनांक 13-12-84 में जी.एस. आर. 814(ई.) द्वारा संशोधित ।

(4) भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3 उपखंड (1), दिनांक 21-10-89 में जी.एस.आर. 772 द्वारा संशोधित ।

(5) भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-2, खंड 3, उपखंड (1) दिनांक 27-11-91 में जी.एस. आर. 702(ई.) द्वारा संशोधित ।

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 1992

G.S.R. 67(E).—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cinematograph (Certification) Rules, 1983, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Cinematograph (Certification) (Amendment) Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cinematograph (Certification) Rules, 1983 (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 6, the following shall be substituted, namely :—

"6. Temporary absence of Chairman : Notwithstanding anything contained in these rules, when the Chairman is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the Central Government may nominate a member of the Board who will discharge the functions of the Chairman until the Chairman resumes his duties".

3. In rule 13 of the principal rules, after sub-rule (2) the following shall be inserted, namely :—

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), if any member of the advisory panel is a Member of Parliament, he shall not be entitled to any remuneration other than the allowances defines in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959)."

4. In rule 31 of the principal rules, for the existing proviso, the following shall be substituted, namely :—

"Provided that the Chairman may, at the written request of the applicant or any other person concerned, extend the said period and the total period so extended shall not exceed six months".

[No. 810/3/91-F(C)]

S. LAKSHMI NARAYANAN, Jt. Secy.

FOOT NOTE The principal rules were published, vide GSR 381(E) dated 9-5-1983 in the Extraordinary Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i).

Amended by :

(i) GSR 83(E) dated 28-2-1984 in the Extraordinary Gazette of India, Part II, Section 3 sub-section (i).

(ii) GSR 413(E) dated 29-5-1984 in the Extraordinary Gazette of India, Part II, Section 3 sub-section (i).

(iii) GSR 814(E) dated 13-12-1984 in the Extraordinary Gazette of India, Part II, Section 3 sub-section (i).

(iv) GSR 772 dated 21-10-1989 in the Gazette of India, Part II, Section 3 sub-section (i).

(v) GSR 702(E) dated 27-11-1991 in the Extraordinary Gazette of India, Part II, Section 3 sub-section (i).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992